संख्या– 184 /XXVIII(1)-2009–13/2004

प्रेषक,

डॉ0 राकेश कुमार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

चिकित्सा अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 02 मार्च, 2009

विषयः **श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में प्रथम नवीनीकरण हेतु आवश्यक उपकरणों के क्रय के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5प/8/3/2008–09/4516 दिनांक 04/02/2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में श्रीनगर मेडिकल कालेज जनपद पौड़ी में प्रथम नवीनीकरण के आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु आवश्यक धनराशि **रू0 500.00 लाख (रू0 पॉच करोड़ मात्र)** की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि के व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.06.2007 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में श्रीनगर मेडिकल कालेज के निर्माण कार्य के लिए दिए गये दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
2. कार्य कराते समय स्वीकृत विशिष्टियों के अपुरूप कार्य करायें तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। उपकरणों का क्रय करते समय यह ध्यान रखा जाये कि प्रथम नवीनीकरण के आवश्यक उपकरणों का ही क्रय किया जाये क्रय प्रक्रिया में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का पालन सुनिश्चित किया जाये।
3. यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इस कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति पूर्व में नहीं हुई है तथा प्रथम बार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। इस आशय का शासन को यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
4. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाये।
5. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैन्युअल तथा शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत नार्म्स हैं, स्वीकृत नार्म्स से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
7. आगणन को जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। उपकरणों आदि का क्रय करते समय गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा इस बात की पूर्ण संतुष्टि कर ली जाये कि न्यूनतम दरों के साथ गुणवत्ता उच्च कोटि की हो।

8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
9. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या दशा में माह 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतयाः निर्गत किया गया है।
10. उपकरणों आदि का क्रियान्वयन तथा स्थापन्न चयन की गयी एजेंसी द्वारा किया जायेगा। इसके लिए अलग से कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।
11. उपकरणों आदि के क्रय का कार्य समयान्तर्गत सुनिश्चित कर लिया जाये। यह भी अपेक्षा की जा रही है कि यह कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।
12. धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार अथवा मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाय।
13. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य –आयोजनागत– 05–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105– पाश्चात्य शिक्षा पद्धति –04–मेडिकल कालेज–0401–श्रीनगर मेडिकल कालेज की स्थापना के मानक मद 26–मशीने सज्जा /उपकरण और संयंत्र के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के नामें डाला जायेगा।
14. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या – 813(p)वित्त अनुभाग –3 /2007 दिनांक 02 मार्च, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 राकेश कुमार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. प्राचार्य, वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी।
5. वित्त नियंत्रक, महानिदेशालय, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. कोषाधिकारी, पौड़ी।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी।
9. मुख्य चिकित्साधीक्षक, श्रीनगर बेस चिकित्सालय, श्रीनगर।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संशाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
12. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0के0 जोशी)
अपर सचिव।

Nirmal s m college g. o letter